**एक सेवा मामले में लिखित कथन**

............... न्यायालय

लिखित कथन

 इन

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

प्रतिवादी सं. 1 एवम् 2 की ओर से लिखित कथन

श्रीमान जी ऊपरवर्णित प्रतिवादीगण निम्नलिखित रूप में निवेदन करता है –

वादपत्र का पैरा के अनुसार उत्तर

1. यह कि यथा वर्णित वादपत्र का पैरा सं 1 सही नहीं है और स्वीकृत नहीं किया जाता है। सही तथ्यों को अतिरिक्त अभिवचनों में प्रकट किया जाता है।
2. यह कि वादपत्र का पैरा सं. 2 गलत है और स्वीकृत नहीं किया जाता है।
3. यह कि वादपत्र का पैरा सं 3 भी स्वीकृत नहीं किया जाता है।
4. यह कि वादपत्र के पैरा सं 3 में यह स्वीकृत किया जाता है कि वादी को उसके अवचार एवम् गबन और गलत विलेखों तथा अनधीनता के लिए निलम्बित कर दिया जाता है। उसकी शेष अन्तर्वस्तुओं का प्रत्याख्यान कर दिया जाता है।
5. यह कि यथावर्णित वादपत्र का पैरा सं 5 सही नहीं है सिवाय इसके कि वादी वादपत्र को अनेक कारणोंवश पच्युत कर दिया गया और यह प्रतिवादी के लिए अनिवार्य बना दिया गया कि वह शीघ्र वादी को पदच्युत कर दें।
6. यह कि यथा वर्णित वादपत्र को पैरा 6 के अभिकथन सही नही हैं। सही तथ्यों को अतिरिक्त अभिवाकों में प्रकट किया जाता है।
7. यह कि वादपत्र के पैरा 7 में इस बात को स्वीकृत किया जाता है कि वह साबित किया जाने के लिए उसके विरुद्ध आरोपों से डरने वाले प्रतिवादी को अपना त्यागपत्र स्वेच्छया एवम् जानबूझकर प्रस्तुत किया और उसके साथ आपराधिक तौर पर व्यवहत किया जा सकता था और त्यागपत्र देने के लिए उसको लाया गया। यह परतर हेतु को के साथ उसकी ओर से एक विमर्शित था।
8. यह कि वादी द्वारा अपील के तथ्य को न ग्रहण किया जाने पर स्वीकृत किया जाता है।
9. यह कि वादपत्र के पैरा 9 में रिट का नामंजूर किया जाना और विशेष अपील का खारिज किया जाना स्वीकृत किया जाता है।
10. यह कि वादपत्र के पैरा सं0 10 की अन्तर्वस्तुएं पूर्णतया गलत है और इसका जोरदार ढंग से प्रत्याख्यान या जाता है। वादी निलम्बन के पश्चात किसी भी भुगतान का हकदार नहीं था।
11. यह कि वादपत्र के पैरा सं0 11 में इसको मामलों का परिचर्चा करने के लिए प्रतिवादी कहे गये स्कूलों ला निरीक्षक के रूप में स्वीकत किया जाता है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वादी मामले की परिस्थितियों अधान देयों की किसी रकम या किसी संदाय या किसी भी उपलब्धि का हकदार नहीं है।
12. यह कि जैसे कहा गया. वैसे वादपत्र के पैरा संख्या 12 को स्वीकृत किया जाता है। वादी संपर्ण संस्था के भार साधन में व्यवहारिक रूप से था और प्रत्येक बात उसके भार साधन में था तथा पदच्यति एवम् त्यागपत्र के पश्चात् उसने अनेक वादों के भारसाधन को नहीं सौंपा तथा निर्धारित किये गये महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवम् कागजात रजिस्टरों इत्यादि को प्रतिवादियों को नहीं सौंपा। अतएव, स्कूल का जिला निर्देशक ने कोई कार्यवाही नहीं की।
13. यह कि पैरा 13 की अन्तर्वस्तुएं गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
14. यह कि पैरा 14 की अन्तर्वस्तुएं सहीं नही है और उनको स्वीकृत नहीं किया जाता है।
15. यह कि पैरा 15 की अन्तर्वस्तुएं गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
16. यह कि पैरा सं 16 की अन्तर्वस्तुएं गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
17. यह कि पैरा सं 17 की अन्तर्वस्तुएं मिथ्या है और जोरदार ढंग से प्रत्याख्यान किया जाता है।
18. यह कि पैरा सं 18 के अभिकथन गलत हैं और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
19. यह कि वादपत्र के पैरा सं 19 की अन्तर्वस्तएं गलत है और उनका प्रत्याख्यान कर दिया जाता है।
20. यह कि पैरा सं 20 की अन्तर्वस्तुएं गलत है और उनका प्रत्याख्यान कर दिया जाता है और वादी किसी भी अनुतोष का हकदार नहीं है।

**अतिरिक्त अभिवचन**

1. यह कि वादी के पास प्रतिवादी के विरुद्ध वाद हेतु कोई भी वादहेतुक नहीं है और वाद को गलत समझा जाता है।
2. यह कि वाद कालवर्जित तथा बाहुल्य पूर्ण होने के कारण पोषणीय नहीं है।
3. यह कि वादी ने कालेज के प्रधानाचार्य की हैसियत से कभी भी कार्य नहीं किया और नहीं वह उस ग्रेड में अपने वेतन का संदाय करने के लिए वचन दिया लेकिन वह कालेज में अपने संपूर्ण मात्र एक सहायक मास्टर ही था।
4. यह कि वाद खर्च सहित खारिज किया जाने योग्य है। यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**वादी**

**जरिये**

**अधिवक्ता**

**सत्यापन**

सत्यापित किया गया कि इस लिखित कथन के पैरा 1 लगायत 22 तथा 23 मेरी व्यक्तिगत में सत्य है और उसके पैरा 21, 22 एवम 24 उस विधिक सलाह पर आधारित है जिसको मैं सत्य जानकारी में सत्य होने पर विश्वास करता हूँ।

...................इस तारीख..............को सत्यापित किया गया।

**प्रतिवादी के अधिवक्ता**

**द्वारा दाखिल किया।**

**उन दस्तावेजों की सूची जिन पर प्रतिवादी ने विश्वास किया।**

1. ...................

2. ....................

3. ....................